

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-1 / फार्मा / विविध-31 / 2019 /

दिनांक.

-:आदेश:-

निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कोर्स / पाठ्यक्रम / परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री / सुश्री / श्रीमती / डॉ०) व पद	पदस्थापन स्थान	आवेदन / परीक्षा / साक्षात्कार की अनुमति
1	विरेन्द्र सिंह, नर्सिंग ट्यूटर	पी.बी.एम. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।	National Consortium for Ph.D Nursing by Indian Nursing Council New Delhi के Entrance Exam for Session 2019-20 में सम्मिलित होने बाबत।
2	घनश्याम जांगिड, नर्सिंग ट्यूटर	पी.बी.एम. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।	National Consortium for Ph.D Nursing by Indian Nursing Council New Delhi के Entrance Exam for Session 2019-20 में सम्मिलित होने बाबत।
3	रमेश कुमार जांगिड, नर्सिंग ट्यूटर	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर।	अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वार DNYS Ind (Direct)-2018 कोर्स (पत्राचार) में आवेदन हेतु।
4	संतोष कुमार सिंघल, नर्सिंग ट्यूटर	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर।	अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वार DNYS Ind (Direct)-2018 कोर्स (पत्राचार) में आवेदन हेतु।
5	मीनाक्षी सोनी, पीएचएन	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर।	अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वार DNYS Ind (Direct)-2018 कोर्स (पत्राचार) में आवेदन हेतु।

शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2. राज्य सरकार / विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की मांग करेगे।
3. इन्हें केवल परीक्षा / साक्षात्कार दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
4. राज्य हित में उक्त अनापत्ति को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास होगा।

नोट:- संविदा कर्मियों के मामले में उक्त आदेश / स्वीकृति लागू नहीं होगी।

-sd-

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक ०९.०५.२०१९

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-1 / फार्मा / विविध-31 / 2019 / 171

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
3. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित कार्मिकों को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. आदेश / निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर